Anneaure ①

Anneaure

St.Mary's School, (En[g

Madha, Mauranipur (Jhansi) U.P.

Ref./ Manyata/CBSE-2014-15 / No-001

Phone (05178) 296201(E.M.)

To,

Date :- 9-06-2014

The Joint Director Education,

Jhansi, U.P.

Ref.- C B S E Circular no. C B S E / Aff / Circular / 2013/10/581277 dated- 08/07/2013

Sir,

This is to inform you that as per the above referred circular of Central Board of Secondary Education, New Delhi we have made an application to the Central Board of Secondary Education, New Delhi seeking affiliation of our school with the board.

This is for your information and necessry action.

Thank you for your kind service.

23-6-14

Place- Mauranipur.

Your Sincerely

Manager
St Mary's Inter College
Mauranipur Jhansi

St.Mary's School, (Eng.Med.)

Madha, Mauranipur-Jhansi (U.P.)

Manager
St. Mary's School
Madha Mauranipur Jhansi U.P.

Principal
St. Mary's School
Madha Mauranipur Jhansi U.P.

Phone: 011-22520242 (Technical Query)
Phone: 011-22528257 (General Queries Reg. Affi.)
Fax: 011-22540655

E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301

REGD./SPEED POST
Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277

Dated: 08.07.2013

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE

Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(I) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting held on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:

Existing Rule 3.3 (I) chapter II	Amended Rule 3.3 (I) chapter II
The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. Its application either should be forwarded by the State Govt. or there should be a No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of the school with the CBSE. "No Objection Certificate" once issued to any school will be considered at par even if it prescribes a specific period of "stage unless it is withdrawn. Condition of submitting a No Objection Certificate will not be applicable to categories 3.1(i) to (iv)	The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government or otherwise it would be assumed that concerned State/U.T. Government has No objection.

The above amendment is brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(U C BODH)
DEPUTY SECRETARY (AFF.)

Copy for information to the following:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18-Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201307 District Gautam Budh Nagar, (Uttar Pradesh).
3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054.

Contd....2....

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।

सेवा में,

प्रबंधक,
सन्त मेरीज स्कूल,
मढ़ा मऊरानीपुर – झाँसी।

पत्रांक : मान्यता / 2592-95 / 2013–14 दिनांक 24/6/13

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 30.10.2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार मैं सन्त मेरीज स्कूल मढ़ा मऊरानीपुर –झाँसी को तारीख 01.07.2012 से तारीख 30.06.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा पाँच तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजारे वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के उध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन होगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

xi- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगाः

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
झांसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सैण्ट मैरीज इण्टर कालेज,
मऊरानीपुर, झांसी।

पत्रांक/शि0स0/ 3965-68 /2011-12 दिनांक- 01-10-11

विषय– कक्षा 06 से 12 तक की अंग्रेजी माध्यम से कक्षाएं संचालन किए जाने की मान्यता दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/2010–11/39–1 दिनांक–15.11.2010 के सन्दर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या:1028–15–7–10–1(75)/2010 दिनांक 9 जून, 2010 तथा संख्या:1271/15–7–10–01(199)/2009 दिनांक 9 जून, 2010 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद के विनियमों के वर्तमान स्वरुप अध्याय–सात के विनियम–8 के स्वीकृत संशोधन अध्याय–सात के विनियम–8 के अनुपालन तथा विद्यालय के निरीक्षण/प्राप्त अभिलेखों के क्रम में कक्षा 06 से 12 तक की अंग्रेजी माध्यम से कक्षाएं संचालन किए जाने की मान्यता कक्षा–कक्षों एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप ही प्रवेश करें तथा आपको इन कक्षाओं का व्ययभार अपने निजी स्रोतों से करना होगा।

भवदीय,

(डा0 इन्द्र प्रकाश सिंह सोलंकी)
जिला विद्यालय निरीक्षक
झांसी।

पृ0सं0/शि0स0/ /2011-12 तदिनांक–

प्रतिलिपि– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 इन्द्र प्रकाश सिंह सोलंकी)
जिला विद्यालय निरीक्षक
झांसी।